(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का होगा।

(8) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएल/डिपाजिट खाते में न रखी जाये।

(9) उक्त धनराशि का व्यय (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03-08-2017 में उल्लिखित दिशा निर्देश एवं शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय शासनादेश में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) उक्त प्रयोजन हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स की सक्षम स्तर से स्वीकृतियां प्राप्त की जायेंगी।

(12) वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 एवं श्रम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1666/36-2-2010, दिनांक 15.12.2010 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं शर्तों के अन्तर्गत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय/लेबर सेस को आगणन में सम्मिलित करते हुए इस धनराशि को जोड़कर संबंधित लेखाशीर्षकों में जमा कराया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी तथा कार्य की फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा समय से कार्य पूरा कराया जाय।

(14) विभाग द्वारा परियोजना के कार्य सम्बन्धी समस्त स्टेच्युरी क्लीयरेन्स नियमानुसार प्राप्त कर ली जाए।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग निर्माण कार्य पूंजीलेखा के लेखाशीर्षक-4700-14-051-10-14-24 के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03-08-2017 में प्रदत्त प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुश्ताक अहमद)
संयुक्त सचिव

संख्या-14/2018/565(1)/16-27-9-33एसएवी/16, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

(2) प्रमुख अभियन्ता (परियोजना),सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

(3) मुख्य अभियन्ता(परियोजना बेतवा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी।

(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(6) अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(7) निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।

(9) नियोजन अनुभाग-1।

(10) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राम नारायण त्रिपाठी)

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in